

प्रेस नोट दिनांक – 09.04.2021

इटावा पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को मात्र 48 घण्टें में किया गिरफ्तार ।

आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण संपन्न कराने तथा आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा० श्री बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा तथा क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को मात्र 48 घण्टें में गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.04.2021 को थाना बसरेहर पुलिस को वादी मृतका के भाई छोटेलाल पुत्र श्री विद्याराम निवासी अहलादपुर थाना बसरेहर इटावा द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 07.04.2021 को उसकी बहन की हत्या उसके पति द्वारा गमछे से गला दबा कर दी गयी है । वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर तत्काल थाना बसरेहर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मु०अ०स० 53/21 धारा 302 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना बसरेहर से अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.04.2021 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 07.04.2021 को अपनी पत्नी की हत्या करने वाला अभियुक्त फौजी होटल पर कही जाने की फिराक में खडा है सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान फौजी होटल पहुची तो मुखबिर द्वारा इशारा कर बताया कि यही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गयी है । पुलिस टीम को अपनी ओर आता हुआ देखकर अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया ।

पुलिस पूछताछ में गिफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना नाम संतोष कुमार पुत्र रामबाबू निवासी तरासौ थाना बाह जनपद आगरा हाल पता ग्राम अहलादपुर थाना बसरेहर बताया जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 220 रुपए बरामद हुए । पुलिस टीम द्वारा पत्नी की हत्या के संबंध में अभियुक्त से कडाई से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया कि मैं जुआ-सट्टा खेलता था एवं शराब का भी सेवन करता था जिस कारण मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया था इसी वजह से मैं अपने गांव को छोडकर ससुराल में रहने लगा था जिस वजह से पत्नी के साथ रोजाना विवाद होता रहता था । घटना के दिन शराब के पैसै मांगने पर पत्नी द्वारा झगडा किया गया था इसी कारण मैने उसकी गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.संतोष कुमार पुत्र रामबाबू निवासी तरासौ थाना बाह जनपद आगरा हाल पता ग्राम अहलादपुर थाना बसरेहर

बरामदगी-

1.220 रुपये मात्र-

पुलिस टीम- श्री मुकेश कुमार सौलंकी थानाध्यक्ष बसरेहर , उ0नि0 श्री भगवान सिंह , उ0नि0 श्री लक्ष्मीनारायण, का0 पंकज कुमार, का0 प्रमोद कुमार, का0 सर्वेश कुमार , म0का0 अनामिका

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा